रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30082022-238452
CG-DL-W-30082022-238452

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, अगस्त 21— अगस्त 27, 2022, शनिवार/ श्रावण 30— भाद्र 5, 1944
No. 19] NEW DELHI, AUGUST 21— AUGUST 27, 2022, SATURDAY/SRAVANA 30–BHADRA 5, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 45.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पदों की भर्ती नियम, 2015 के स्थान पर जहां वे ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव के पद से संबंधित हैं, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोडे गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव एवं आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमति करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव पद भर्ती नियम, 2022 है।

2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक एवं आवश्यक अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ निजी सचिव	90* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: निजी सचिव, वेतन मैट्रिक में स्तर-7 (44900-142400) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और कार्मिक प्रबंधन प्रतिभा केन्द्र या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करता होः या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात निजी सचिव ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)** 1. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय - अध्यक्ष 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन - सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय (अनुसंधान एवं विकास) या उप निदेशक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सर्विस, रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्तीय सलाहकार (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निजी सचिव	145* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल –7 (44900 रु.-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.) में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-I जिसने इस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो और कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र (सेप्टेम) अथवा किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह की अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीः (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु)** 1. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन -अध्यक्ष 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन -सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय (अनुसंधान तथा विकास) अथवा उप निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय अथवा सहायक वित्तीय सलाहकार (अनुसंधान तथा विकास) -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।

धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक/आरआरएस/सी/पी/04/815/डी (आरएंडडी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र का.नि.आ. सं. 275, तारीख 30 जून, 1986, का.नि.आ. 6ड. तारीख 21 मार्च 1990 ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद के लिए, का.नि.आ. सं. 148 तारीख 12 जून 1991 के अधीन संशोधित, का.नि.आ. सं. 61 तारीख 28 मई 1993, का.नि.आ. 127, तारीख 26 अगस्त 1993, का.नि.आ. सं. 74, तारीख 16 फरवरी, 1995, का.नि.आ. सं. 98, तारीख, 07 अप्रैल 1995, का.नि.आ. सं. 214 तारीख, 20 सितंबर, 1995, का.नि.आ. सं. 12ड. तारीख 29 मई, 1998 के अधीन अधिक्रांत, का.नि.आ. सं. 06 के तारीख 18 जनवरी 2000 के अधीन अधिक्रांत, का.नि.आ. -37 तारीख 9 सितंबर 2015 के अधीन अधिक्रांत करते हुए प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 10th August, 2022

S.R.O. 45 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I posts Recruitment Rules, 2015 in so far as they relates to the post of Senior Private Secretary and Private Secretary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary and Private Secretary posts Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of the posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in pay matrix, attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Private Secretary.	90* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Private Secretary, in Level-7(Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognized training institute.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotions):** 1. Director General, Defence Research and Development Organisation - Chairman 2. Director, Directorate of Personnel or Director,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the Private Secretary grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member 3. Under Secretary, Ministry of Defence (Research and Development) or Deputy Director, Armed Forces Headquarters Civil Services, Ministry of Defence or Assistant Finance Advisor (Research and development), Ministry of Defence – Member.	

(1)	(2)	(3)
2. Private Secretary	145* (2022) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-7(Rs. 44900-142400) in the pay matrix	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	by promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion:-Stenographer Grade-I, in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed 2 to 4 weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management (CEPTAM) or any other recognised training institute. **Deputation:-** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five year service in the Stenographers grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 02 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of	**Group 'B' Department Promotion Committee (for Promotion):** 1. Director General, Defence Research and Development Organisation – Chairman 2. Director, Directorate of personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation - Member 3. Under Secretary, Ministry of Defence, (Research and Development) or Deputy Director, Armed Forces Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor (Research and Development) - Member;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. DHRD/87661/Stenographers/RRs/C/P/04/815/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published in the Official Gazette vide S.R.O. Number 275, dated the 30th June, 1986, S.R.O. 6E dated 21 March 1990 for the post of Senior Personal Assistant, Amended vide S.R.O. No. 148 dated 12th June 1991, S.R.O. No. 61 dated the 28th May 1993, S.R.O. 127, dated the 26th August 1993, S.R.O. No. 74, dated the 16th February, 1995, S.R.O. No. 98, dated, the 07th April 1995, S.R.O. No. 214 dated, the 20th September, 1995, Superseded vide S.R.O. No. 12E dated the 29 May, 1998, Superseded vide S.R.O. No. 06 dated, the 18 January, 2000, superseded vide SRO-37 dated 9th Sep 2015.

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रधान निजी सचिव भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान निजी सचिव	15*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन आशुलिपिक काडर में पदधारण करने वाले ऐसे अधिकारीः क (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्धश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ज्येष्ठ निजी सचिव अथवा निजी सचिव की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-8 (47600-151100 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ज्येष्ठ निजी सचिव अथवा निजी	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. कार्मिक निदेशक या मानव संसाधन विकास निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य (सदस्य) 3. निदेशक, रक्षा विभाग या निदेशक, एएफएचक्यू सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय या वित्त अनुसंधान और विकास - सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. महानिदेशक मानव संसाधन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -अध्यक्ष (अध्यक्ष) 2. कार्मिक निदेशक या मानव संसाधन विकास निदेशक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -सदस्य (सदस्य) 3. निदेशक, रक्षा विभाग या निदेशक, एएफएचक्यू सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्त सलाहकार रक्षा मंत्रालय या वित्त अनुसंधान और विकास - सदस्य (सदस्य)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सचिव की श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधे पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक/आरआरएस/सी/पी/03/814/डी/(आरएंडडी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 10th August, 2022

S.R.O. 46.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Principal Private Secretary Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing, in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Principal Private Secretary.	15* (2022) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	100% promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Private Secretary in the Level-8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix with six years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Deputation:** Officers holding the post in Stenographer Cadre under the Central Government or State Government or Union Territory Administration: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service in the Senior Private Secretary or Private Secretary grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-10 (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With six years service in the Senior Private Secretary or Private Secretary grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-8 (Rs.47600-15100) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member 3. Director, Department of Defence or Director, AFHQ Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence or Finance Research and Development – Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director General HR, Defence Research and Development Organisation – Chairman (chairman) 2. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member (member) 3. Director, Department of Defence or Director, AFHQ Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence or Finance Research and Development - Member (member)	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DHRD/87661/Stenographers/RRs/C/P/03/814/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), रोड रोलर चालक, विशेष श्रेणी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2013, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), रोड रोलर चालक, विशेष श्रेणी, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), रोड रोलर चालक, विशेष श्रेणी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2013 में –

(क) आरंभिक पैरा में, ''सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 1 के उप नियम (1) में, ''सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्

''2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।'';

(घ) अनुसूची में, –

(i) स्तंभ (4) के स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400–112400)''य

(ii) स्तंभ (11) में, –

(अ.) ''वेतन बैंड –1 में 5200–20200 रु.. ग्रेड वेतन 2800 रु.'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (रु. 29200–92300)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(आ.) 'प्रोन्नति' शीर्षक के अधीन, टिप्पण 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/01/2019/जीई–1/09/आरआर/र. (नि)./2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232, तारीख 11 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.R.O. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Driver Road Roller, Special Grade, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2013, namely.-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Driver Road Roller, Special Grade, Group 'B' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation) Driver Road Roller, Special Grade, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2013,-

(a) in the opening paragraph, the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words " Ministry of Defence" shall be substituted ;

(b) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words " Ministry of Defence" shall be substituted ;

(c) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix .—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(d) in the Schedule,-

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)";

(ii) in column (11),-

A. for the words and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800", the words, brackets and figures "level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;

B. Under sub-heading 'Promotion', Note 3 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. BRDB/01/01/2019/GE-1/09/RR/D(A)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 232, dated the 11th September, 2013.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) सहायक भर्ती नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) सहायक भर्ती नियम, 2012 में,–

(क) आरंभिक पैरा में, ''सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगेय

(ख) नियम 1 के उप नियम (1) में, ''सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगेय

(ग) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्

''2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।''य

(घ) अनुसूची में, –

(i) स्तंभ (4) के स्तंभ षीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ षीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400–112400)'';

(ii) स्तंभ (11) में, –

(अ.) "वेतन बैंड –1 में 5200–20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (रु. 25500–81100)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(आ.) 'प्रोन्नति' शीर्षक के अधीन, टिप्पणी 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/01/2019/जीई–1/09/आरआर/र. (नि). /2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141, तारीख 07 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Assistant Recruitment Rules, 2012, namely.-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Assistant Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation) Assistant Recruitment Rules, 2012.-

(a) in the opening paragraph, the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words " Ministry of Defence" shall be substituted ;

(b) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words " Ministry of Defence" shall be substituted ;

(c) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix .- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(d) in the Schedule,-

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)";

(ii) in column (11),-

A. for the words and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2400", the words, brackets and figures "level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)" shall be substituted;

B. Under sub-heading 'Promotion', Note 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. BRDB/01/01/2019/GE-1/09/RR/D(A)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 141, dated the 7th June, 2012.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) प्रचालक उत्खनन मशीनरी विषेष ग्रेड भर्ती नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), प्रचालक उत्खनन मशीनरी, विषेष श्रेणी, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) प्रचालक उत्खनन मशीनरी विषेष ग्रेड भर्ती नियम, 2012 में,–

(क) आरंभिक पैरा में, ''सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगेय

(ख) नियम 1 के उप नियम (1) में, ''सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगेय

(ग) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्

''2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।'';

(घ) अनुसूची में, –

(i) स्तंभ (4) के स्तंभ षीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ षीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400–112400)'';

(ii) स्तंभ (11) में, –

(अ.) ''वेतन बैंड –1 में 5200–20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (रु. 29200–92300)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(आ.) 'प्रोन्नति' षीर्षक के अधीन, टिप्पणी 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/01/2019/जीई–1/09/आर आर/र. (नि)./2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 140, तारीख 07 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.R.O. 49.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Operator Excavating Machinery Special Grade Recruitment Rules, 2012, namely.-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Operator Excavating Machinery Special Grade Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation) Operator Excavating Machinery Special Grade Recruitment Rules, 2012.-

(a) in the opening paragraph, the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words "Ministry of Defence" shall be substituted ;

(b) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words "Ministry of Defence" shall be substituted;

(c) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix .—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(d) in the Schedule,-

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)";

(ii) in column (11),-

A. for the words and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800", the words, brackets and figures "level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;

B. Under sub-heading 'Promotion', Note 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. BRDB/01/01/2019/GE-1/09/RR/D(A)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 140, dated the 7th June, 2012.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) में चालक यांत्रिक परिवहन विशेष ग्रेड भर्ती नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), चालक यांत्रिक परिवहन विशेष श्रेणी भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) में चालक यांत्रिक परिवहन विशेष ग्रेड, भर्ती नियम, 2012 में,–

(क) आरंभिक पैरा में, ''सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगेय

(ख) नियम 1 के उप नियम (1) में, ''सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' शब्दों के स्थान पर, ''रक्षा मंत्रालय'' शब्द रखे जाएंगेय

(ग) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्

''2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।'';

(घ) अनुसूची में, –

(i) स्तंभ (4) के स्तंभ षीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ षीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400–112400)'';

(ii) स्तंभ (11) में, –

(अ.) ''वेतन बैंड –1 5200–20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु.'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (रु. 29200–92300)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(आ.) 'प्रोन्नति' षीर्षक के अधीन, टिप्पणी 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/01/2019/जीई–1/09/आर आर/र. (नि)./2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105, तारीख 07 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.R.O. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation) Driver Mechanical Transport Special Grade Recruitment Rules, 2012, namely.-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation) Driver Mechanical Transport Special Grade Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation) Driver Mechanical Transport Special Grade Recruitment Rules, 2012.-

(a) in the opening paragraph, the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words " Ministry of Defence" shall be substituted ;

(b) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Ministry of Road Transport and Highways", the words "Ministry of Defence" shall be substituted ;

(c) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix .- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(d) in the Schedule,-

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)";

(ii) in column (11),-

A. for the words and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800", the words, brackets and figures "level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;

B. Under sub-heading 'Promotion', Note 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. BRDB/01/01/2019/GE-1/09/RR/D(A)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 105, dated the 7th May, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.08.30 17:48:37 +05'30'